इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अगस्त 2014—श्रावण 15, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त, 2014

क्र. 4509-205-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 अगस्त, 2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१४

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, २०१४

विषय-सूची

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम.
- २. वृहत नाम का संशोधन.
- ३. धारा २ का संशोधन.
- ४. धारा ३ का स्थापन.
- ५. धारा ४ का स्थापन.
- ६. धारा ६क का स्थापन.
- ७. धारा १० का स्थापन.
- ८. धारा १४ङ और १४च का अंत:स्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१४

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, २०१४

[दिनांक ५ अगस्त, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ६ अगस्त, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित किया जाता है.]

मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ को और संशोधित करने हेत अधिनियम,

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, २०१४ है.

वृहत् नाम का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक १३ सन् १९६४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के वृहत् नाम में, शब्द ''नगर पंचायतों'' के स्थान पर शब्द ''नगर परिषदों'' स्थापित किए जाएं.

धारा २ का संशोधन.

- ३. मूल अधिनियम की धारा २ में,-
 - (क) खण्ड (१) में,-
 - उपखण्ड (क) में शब्द ''पार्षद'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर तथा पार्षद'' स्थापित किए जाएं; (एक)
 - उपखण्ड (ख) में, शब्द ''नगर पंचायत'' के स्थान पर, शब्द ''नगर परिषद्'' स्थापित किए जाएं (दो) और शब्द ''पार्षद'' के स्थान पर, शब्द ''अध्यक्ष तथा पार्षद'' स्थापित किए जाएं;
 - (ख) खण्ड (२), (३) और (४) में, शब्द ''नगर पंचायत'' के स्थान पर, शब्द ''नगर परिषद्'' स्थापित किए जाएं.

- ४. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--
- ''३. (१) कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए, मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड्तालीस घंटों की कालाविध के दौरान.--
 - (क) निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलुस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा न उसमें सिम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा; या
 - (ख) चलचित्र, इलेक्ट्रानिक या प्रिंट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा; या
 - (ग) कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या किसी मनोरंजन द्वारा या आमोद-प्रमोद के अन्य तरीकों द्वारा मतदाताओं को उसके प्रति आकर्षित करने के प्रयोजन से. आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा.
 - (२) वह व्यक्ति, जो उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

धारा ३ का स्थापन.

मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि का प्रतिषेध.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''निर्वाचन संबंधी बात'' से अभिप्रेत है कोई ऐसी बात जो किसी निर्वाचन के परिणाम पर असर डालने या उसे प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रकल्पित है.''.

५. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :--

धारा ४ का स्थापन.

''४. (१) जो कोई व्यक्ति, ऐसी सार्वजनिक सभा में, जिसके संबंध में यह धारा लागू है, उस कारोबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह सभा बुलाई गई है, विच्छृंखलता से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्दीस करेगा, वह कारावास से, जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.

निर्वाचन सभाओं में उपदव

- (२) उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा.
- (३) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है जो सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख़ के और उस तारीख़ के बीच, जिस तारीख़ को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में की गई है.
- (४) यदि कोई पुलिस आफिसर, किसी व्यक्ति की बाबत् युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने उपधारा (१) के अधीन अपराध किया है और तो यदि सभा के सभापित द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरंत अपना नाम व पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम व पता बताने से इंकार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस आफिसर उसकी बाबत् युक्तियुक्त रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है तो पुलिस आफिसर उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा.''.
- ६. मूल अधिनियम की धारा ६ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा ६क का स्थापन

''६क यदि कोई निर्वाचक जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा.''.

मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति.

७. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

धारा १० का स्थापन. मतदान केन्द्र से

मतपत्रों का हटाना

- ''१०. (१) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र, निर्वाचन दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन अप्राधिकृत रूप से बाहर ले जाएगा या बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा.
 - . अपराध होगा.
- (२) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो ऐसा आफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा:

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जाना आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए ली जाएगी.

- (३) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास मिला कोई मतपत्र, निर्वाचन दस्तावेज और/ या इलेक्टानिक वोटिंग मशीन, सरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पलिस आफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो, तब उसे ऐसा आफिसर सरक्षित अभिरक्षा में रखेगा.
- (४) उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध संजेय होगा.''.

धारा १४ङ और १४च का अंत:स्थापन. ८. मूल अधिनियम की धारा १४घ के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :--

मतदान केन्द्र में या उसके निकट आयुध लेकर जाने का प्रतिषेध.

- ''१४ङ (१) रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, और किसी पुलिस आफिसर, से तथा मतदान केन्द्र पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से, जो मतदान केन्द्र पर कर्तव्यारूढ़ है, भिन्न कोई व्यक्ति, मतदान के लिए, मतदान केन्द्र के आसपास आयुध अधिनियम, १९५९ (१९५९ का ५४) में परिभाषित किसी प्रकार के आयधों से सज्जित होकर नहीं जाएगा.
- (२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा.
- (३) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो आयुध अधिनियम, १९५९ (१९५९ का ५४) तथा उसके अधीन जारी अधिसूचना के उपबंधों में यथा परिभाषित उसके कब्जे में पाए ऐसे आयुध जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होंगे और ऐसे आयुध के संबंध में दी गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम की धारा १७ के अधीन प्रतिसंहत की गई समझी जाएगी.
- (४) उपधारा (२) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा.

मतदान के दिन लिकर का न तो विक्रय किया जाना. न दिया जाना और न वितरण किया जाना.

- १४च (१) मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली अड़तालीस घण्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, भोजनालय, पांथशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्रायवेट स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य प्रदार्थ न तो विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा.
- (२) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी या जर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.
- (३) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिटयुक्त किण्वित, या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य प्रदार्थ जो उसके कब्जे में पाए जाए, अधिहरण के दायी होंगे और उनका व्ययन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए.''.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त, 2014

क्र. 4510-205-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT No. 13 of 2014

THE MADHYA PRADESH LOCAL AUTHORITIES (ELECTORAL OFFENCES) AMENDMENT ACT, 2014

TABLE OF CONTENTS

Sections:

- 1. Short title.
- 2. Amendment of long title.
- 3. Amendment of Section 2.
- 4. Substitution of Section 3.
- 5. Substitution of Section 4.
- 6. Insertion of Section 6 A.
- 7. Substitution of Section 10.
- 8. Insertion of Section 14E and 14F.

MADHYA PRADESH ACT No. 13 of 2014

THE MADHYA PRADESH LOCAL AUTHORITIES (ELECTORAL OFFENCES) AMENDMENT ACT, 2014

[Received the assent of the Governor on the 5th August, 2014; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th August, 2014].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Amendment Act, 2014.

Short title.

2. In the long title of the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964 (No. 13 of 1964) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Nagar Panchayats", the words "Nagar Parishads" shall be substituted.

Amendment of long title.

3. In Section 2 of the principal Act,—

Amendment of Section 2.

- (a) in clause (1),—
 - (i) in sub-clause (a), for the words "councillor", the words "Mayor and councillor" shall be substituted;
 - (ii) in sub-clause (b), for the words "Nagar Panchayat", the words "Nagar Parishad" shall be substituted and for the word "councillor", the words "President and councillor" shall be substituted;
- (b) in clause (2),(3) and (4), for the words "Nagar Panchayat", the words "Nagar Parishad" shall be substituted.

Substitution of Section 3.

Prohibition of public meetings etc. during period of forty-eight hours ending with hour fixed for conclusion of poll.

4. For Section 3 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

- "3. (1) No person shall, during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for completion of the poll for any election in any polling area,—
 - (a) convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election; or
 - (b) display to the public any election matter by means of cinematography, electronic or print media or any other means; or
 - (c) propagate any election matter to the public by holding, or by arranging the holding of, any musical concert or any theatrical performance or by way of amusement or any other means of entertainment with a purpose to attracting the voters.
- (2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

Explanation.—For the purpose of this section, the expression "election matter" means any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election.".

Substitution of Section 4.

Disturbances at election meetings.

- 5. For Section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "4. (1) Any person who at a public meeting to which this section applies, acts, or incites others to act, in a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the business for which the meeting was called together, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.
 - (2) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.
 - (3) This section applies to any public meeting of a political character held in any constituency between the date of the issue of a notification under this Act calling upon the constituency to elect a member or members and the date on which such election is held.
 - (4) If any police officer reasonably suspects any person of committing an offence under sub-section (1), he may, if requested so to do by the chairman of the meeting, require that person to declare to him immediately his name and address and, if that person refuses or fails to declare the same, or if the police officer reasonably suspects him of giving a false declaration, the police officer may arrest him without warrant."

Insertion of Section 6A.

Penalty for failure to observe procedure for voting.

Substitution of Section 10.

Removal of ballot papers from polling station to be an offence.

- 6. After Section 6 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
 - "6A. If any elector to whom a ballot paper has been issued, refuse to observe the procedure prescribed for voting the ballot paper issued to him shall be liable for cancellation.".
- 7. For Section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
 - "10. (1) Any person who at any election unauthorizedly takes or attempts to take a ballot paper, election documents or the Electronic Voting Machine out of a polling station, or willfully aids or abets the doing of any such act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(2) If the presiding officer of a polling station has reasons to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under sub-section (1), such officer may, before such person leaves the polling station, arrest or direct a police officer to arrest such person and may search such person or cause him to be searched by a police officer:

Provided that when it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman with strict regard to decency.

- (3) Any ballot paper, election documents or Electronic Voting Machine found upon the person arrested on search, shall be made over for safe custody to a police officer by the presiding officer, or where the search is made by a police officer, the same shall be kept by such officer in safe custody.
- (4) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.".
- 8. After Section 14D of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

Insertion of Section 14 E and

"14E. (1) No person, other than the returning officer, the Presiding officer, any police officer and any other person appointed to maintain peace and order, at a polling station who is on duty at the polling station, shall, on a polling day, go armed with arms, as defined in the Arms Act,1959(54 of 1959), of any kind within the neighborhood of a polling station.

Prohibition of going armed to or near a polling station.

- (2) If any person contravenes the provisions of sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
- (3) Where a person is convicted of an offence under this section, the arms as defined in the provisions of the Arms Act,1959(54 of 1959) and notification issued thereunder, found in his possession shall be liable to confiscation and the license granted in relation to such arms shall be deemed to have been revoked under section 17 of that Act
- (4) An offence under sub-section (2) shall be cognizable.
- 14F. (1) No spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature shall be sold, given or distributed at a hotel, eating house, tavern, shop or any other place, public or private, within a polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.

Liquor not to be sold, given or distributed on polling day.

- (2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1), shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.
- (3) Where a person is convicted of an offence under this section, the spirituous, fermented or intoxicating liquors or other substances of a like nature found in his possession shall be liable to confiscation and the same shall be disposed of in such manner as may be prescribed.".